62

169

यालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर खण्ड पीठ रीवां

जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानी 2405-II-15

20 Rs COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

226 / 27-6-15

जगदीश प्रसाद रजक पिता श्री रामसेवक रजक निवासी ग्राम रौरा कोठार तहसील मनगवॉ जिला रीवा (म0प्र0) ....आवेदक

बनाम

जमुना प्रसाद पिता श्री मंगल रजक निवासी ग्राम रौरा कोठार तहसील मनगवॉ जिला रीवा (म0प्र0) ....अनोवदक

निगरानी विरूद्व आदेश राजस्व मण्डल सूरा राजस्व प्रकरण कमांक 13/अ/12 पारित आदेश दिनांक 07.04.2015 अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सहिंता 1959ई0

ओमप्रकाश पाण्डेय एडवो0 27-6-15

सर्किट कोर्ट रीवा क्रमांक........ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक........ को प्राप्त

कार्यालय ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है–

1. यह कि आराजी नं0 435 का सीमांकन राजस्व निरिक्षक मण्डल सूरा द्वारा दिनांक 19.03.2015 को किया गया है।
2. यह कि राजस्व निरिक्षक मण्डल सूरा द्वारा किये गये सीमांकन पटवारी द्वारा सूचना पत्र दिनांक 18.03.2015 को जारी होना दर्शाया गया जिसमे सरहददी कृषको को हस्ताक्षर बनाने से इन्कार लिखा गया सूचना पत्र व किसके द्वारा तामील किया गया स्पष्ट लेख नही है। निगरानी कर्ता के द्वारा किसी तरह की सूचना की तामीली नही कि गई न ही कोई सूचना लेकर निगरानी कर्ता के पास आया बल्कि फर्जी ढंग से हस्ताक्षर करने से इन्कार लेख कर दिया गया।

जगदीश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2405-II / 2015 जिला–रीवा

जगदीश प्रसाद रजक / जमुना प्रसाद रजक

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक,वृत्त सूरा, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 13/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	